कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-70/2016-17/

दिनांक : /01/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- डोईवाला

जिला- देहरादून

विषय : क्षेत्र पंचायत डोईवाला का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **10** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 70/2016-17/ **दिनांक: /01/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, राजपुर रोड़ निकट साई इंस्टीट्यूट 62/31, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिटनिदेशालय (, द्वितीयतल-, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, अल्मोड़ा

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, क्षे.पं.- डोईवाला, जनपद- देहरादून पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड़ विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) - प्रमुख, क्षेत्र पंचायत

(ii) श्रीमती अनीता पंवार खण्ड़ विकास अधिकारी (प्रभारी)

(बसंप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (

(i) श्री लक्ष्मणसिहैं वरिष्ठ लेखापरीक्षक

(ii) श्री केदार सिहं स.ले.प.अ. .

(iii) श्री विजय बडथ्वाल, स.ले.प.अ

(vi श्री बी. एस.चन्देल व.ले.प.अ.

(ससंप्रेक्षा तिथि (17.11.2016 से 25.11.2016 तक

(दसंप्रेक्षा में आच्छादित अवधि (:2013-14से20115-16तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं.-डोईवाला, जनपद- देहरादून**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-54

भौगोलिक क्षेत्र :-175.53 हेक्टेयर

जनसंख्या : 54000

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04

4- (बउपसमितियों (, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक 04

5- कर्मचारियों की संख्या : 21

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - कार्यालय भवन एवं 07 आवासीय भवन

7- योजनाओं की संख्या :- -

8- सामाजिक संरक्षा (अ)

(बरोजगार सृजन स (े सम्बन्धित: -

(सवर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें (: -

(दलाभार्थियों की संख्या (:

9- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : कोई नही

10- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय अनुसार व्यय विवरण के-

(अ-सामान्यः (भाग के अनुसार 3

(ब योजनाओं पर ((प्रत्येक योजना का अलगएवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये। (अलग दर्शाया जाये-

क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है -

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- डोईवाला, जनपद- देहरादून** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री बी. एस.चन्देल व.ले.प.अ.श्री विजय बडथ्वाल,स.ले.प.अ..श्री केदार सिहं स.ले.प.अ.एवं श्री लक्ष्मणसिहैं वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.11.2016 से 25.11.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 +	**प्रस्तर भाग 4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**	**STAN**
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर AIR-431/2014-15		प्रस्तर-1602 -	प्रस्तर-01.42

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: - शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख: - शून्य

<u>भाग 4 (ब) - दो</u>

प्रस्तर 1:- पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना हेतु प्रदत्त निर्धूम चूल्हे की धनराशि तथा अनुदान की धनराशि रुपए 3.22 लाख का उपयोग न किया जाना।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना के अंतर्गत दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार उन लाभार्थियों को आवास हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास कोई पक्का आवास न हो तथा जिनको अभी तक इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना , क्रेडिट कम सबसिडी योजना, उच्चीकृत आवास योजना तथा अटल आवास योजना के अंतर्गत किसी भी आवास योजना में कोई शासकीय सहायता स्वीकृत न की गई हो साथ ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में न हो तथा किसी भी सदस्य को सरकारी पेनशन न मिलती हो ।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 एव, 2015-16 में कुल उपलब्ध धनराशि 3.65 लाख के सापेक्ष मात्र 0.43 लाख ही व्यय किया गया था । वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में 3.22 लाख की धनराशि अवशेष पड़ी थी। आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2007-8 से लेखापरीक्षा तिथि तक कुल 80 लाभार्थियों जिन्होने अनुदान की धनराशि एवं निर्धूम चूल्हे की धनराशि का उपयोग नहीं किया था की धनराशि 3.22 लाख रुपये को वर्ष 2016-17 में जिला विकास अधिकारी को वापस कर दिया गया था, इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि कर बताया गया कि आवास पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाएगा । लाभार्थियों द्वारा धनराशि की मांग नहीं किए जाने के कारण धनराशि वापस कर दी गई । आवासों की स्थिति के संबंध में कहा गया कि विकास खंड स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं है ।

उत्तर संतोष जनक नहीं है । प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

प्रस्तर 2– विभिन्न मदों के तहत प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु 7.28 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 347/वि.आ.निदे.(तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17जनवरी, 2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, व ग्राम पंचायत) को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि (जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र विकास निधि, विधायक निधि, पी.एम.जी.एस.वाई., मनरेगा आदि) जो लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैंकों में जमा रहती है तथा जिस पर ब्याज अर्जित होता है उस अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष के ब्याज प्राप्त मद में (0049 ब्याज प्राप्ति शीर्ष) जमा किया जाना चाहिए।

क्षेत्र पंचायत, डोईवाला के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया इकाई को विभिन्न योजनाओं में आवंटित धनराशि पर मार्च 2016 तक रु 7.28 लाख की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसे लेखापरीक्षा तिथि तक राजकोष में जमा नही कराया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि यथाशीघ्र ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करना अनिवार्य है तथा धनराशि को समय से राजकोष में जमा कर इसका उपयोग अन्य विकास कार्यों में किया जा सकता था।

अतः अर्जित ब्याज की धनराशि रु 7.28 लाख को राजकोष में जमा न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>**भाग4(ब)–2**</u>

प्रस्तर 3 – 13 वें वित्त आयोग(क्षे0पं0अंश) से सम्बंधित कार्यों को कार्यादेश के विपरीत कराया जाना ।

13वें वित्त आयोग से सम्बंधित कार्यों के कार्यादेश के अनुसार कार्य प्राक्कलन के अनुसार क0 अभियंता की तकनीकी देख–रेख में कराया जायेगा, योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा, कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल की फोटोग्राफ अंतिम भुगतान के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, कार्य स्थल पर योजना निर्माण का बोर्ड भी लगाया जायेगा, योजना पर क्रय की जाने वाली सामग्री का कोटेशन लिया जायेगा, योजना को कार्यादश की तिथि से 01 माह के भीतर पूर्ण करना होगा।

क्षेत्र पंचायत, डोईवाला के 13वें वित्त आयोग से सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में 11 कार्य एवं 2015–16 में 30 कार्य कराये गये जिनमें में निम्नलिखित कमियां पायी गई –

o”kZ 2014&15			
dz 01 a0	dk;Z dk uke	ykxr ¼yk[k esa½	fVIi.kh
1	xzke lHkk tkSyhxzkUV esa 06 lksyj ykbZV yxokus dk dk;Z	0-85	¼i½i=koyh essa dsoy 03 lksyj ykbVksa ds QksVksxzkQ ik;s x;sA ¼ii½dk;kZns’k 06 lksyj ykbZVksa dks yxokus gsrq fd;k x;k Fkk] tcfd Hkqxrku 04 lksyj ykbZVksa gsrq fd;k x;k FkkA
2	xzke /kEewokyk esa eSu jksM ls Jh ujs’k jrqMh ds ?kj dh vksj ikbZi ykbu fcNokus dk dk;Z	1-00	¼i½ dk;kZns’k ¼fnukad 18-112014½ ds vuqlkj dk;Z dks 30 fnu ds Hkhrj iw.kZ fd;k tkuk FkkA i=koyh dh tkap esa ik;k x;k fd mDr dk;Z gsrq izFke fd’r fnukad 29-11-2014 dks voeqDr dh x;h Fkh ijarq dk;Z vizSy 2015¼4 ekg foyEc ls½ esa izkjEHk fd;k x;k FkkA ¼ii½ dk;kZns’k ds vuqlkj dk;ZLFky ij Sign Board dk izko/kku fd;k x;k Fkk rFkk

			Sign Board gsrq # 1500@ dk Hkqxrku Hkh fd;k x;k FkkA ijUrq i=koyh esa Sign Board dk QksVksxzkQ ugh ik;k Xk;kA
3	xzke lHkk vij udjkSUnk esa Jh nhoku flag usxh ds ?kj ls osn izdk’k ds ?kj dh vksj lh0lh0 ekxZ dk fuekZ.k	3-00	¼i½ dk;kZns’k ds vuqlkj dk;Z dks 30 fnu ds Hkhrj iw.kZ fd;k tkuk FkkA i=koyh dh tkap esa ik;k x;k fd mDr dk;Z gsrq izFke fd’r ¼# 2-00 yk[k ½ fnukad 14-01-2015 dks voeqDr dh x;h Fkh ijarq dk;Z ekpZ 2015 esa izkjEHk fd;k x;k FkkA
4	xzke iapk;r ‘;keiqj esa vkaxuokMh Hkou esa is;ty ,oa ‘kSpky; fuekZ.k dk;Z	1-00	¼i½ i=koyh dh tkap esa ik;k x;k fd mDr dk;Z gsrq izFke fd’r fnukad 14-01-2015 dks voeqDr dh x;h Fkh ijarq dk;Z ekpZ 2015 esa izkjEHk fd;k x;k FkkA
5	xzke pdrquokyk esa fpjath yky usFkkuh ds ?kj ls Jh lh-,l- usxh] mRre flag ds ?kj dh vksj jksM fuekZ.k	2-00	i=koyh dh tkap esa ik;k x;k fd izkDdyu esa lh-lh- ekXkZ dh yEckbZ 75 eh0 Fkh ijarq lkbu cksMZ esa ekxZ dh yEckbZ 65 eh0 n’kkZ;h x;h FkhA
6	xzke fe;kaokyk ljLorh iwje ds lkeus js.kqdk cgqxq.kk ds ?kj ls ekS;Z th ds ?kj dh vksj lh-lh- ekxZ fuekZ.k	1-00	eLVj jksy ,oa dk;ZiwfrZ izek.k i= esa dk;Z izkjEHk dh frfFk 01-03-2015 rFkk dk;Z lekfIr dh frfFk 15-03-2015 n’kkZ;h x;h Fkh tcfd lkbu cksMZ esa dk;Z izkjEHk dh frfFk 01-02-2015 ,oa lekfIr dh frfFk 28-02-2015 n’kkZ;h x;h Fkh
7	{ks= iapk;r lnu esa efgyk ,oa iq:”k ‘kkSpky; dk fuekZ.k dk;Z	1-00	i=koyh dh tkap esa ik;k x;k fd mDr dk;Z gsrq izFke fd’r fnukad 19-01-2015 dks voeqDr dh x;h Fkh ijarq dk;Z vizSy 2015¼02 ekg foyEc ls½ esa

			izkjEHk fd;k x;k FkkA
8	feLljokyk dyka esa Jh ltok.k th ds ?kj ls Jh peksyh th ds ?kj rd lh-lh- ekxZ fuekZ.k	1-00	i=koyh dh tkap esa ik;k x;k fd mDr dk;Z gsrq izFke fd'r¼# 0-80 yk[k ½ fnukad 19-01-2015 dks voeqDr dh x;h Fkh ijarq dk;Z vizSy 2015¼02 ekg foyEc ls½ esa izkjEHk fd;k x;k FkkA
o"kZ 2015&16			
1	xzke iapk;r _f"kds'k ok0 u0 01 esa Jh fugky flag ds ?kj ls U;k;ky; ifjlj rd lh-lh- ekxZ fuekZ.k	1-40	¼i½fuekZ.k dk;Z izkjEHk djus gsrq vfxze /kujkf'k # 1-00 yk[k fnukad 24-07-2015 dks voeqDr dh x;h FkhA tcfd dk;Z fnukad 23-10-2015¼03 ekg foyEc ls½ dks izkjEHk fd;k x;k FkkA ¼ii½lbZu cksMZ esa ;kstuk izkjEHk ,oa lekfIr dh frfFk ugh n'kkZ;h x;h Fkh rFkk lkbZu cksMZ esa fdlh vU; dk;Z ;kstuk dk uke n'kkZ;k x;k FkkA
2	xzke iapk;r _f"kds'k ok0 u0 01 esa Jh iznhi ,MoksdsV ds pSEcj ls loZ dk;kZy; rd lh-lh- ekxZ fuekZ.k	1-40	¼i½ fuekZ.k dk;Z izkjEHk djus gsrq vfxze /kujkf'k # 1-00 yk[k fnukad 24-07-2015 dks voeqDr dh x;h FkhA tcfd dk;Z fnukad 01-12-2015¼04 ekg foyEc ls½ dks izkjEHk fd;k x;k FkkA ¼ii½lkbZu cksMZ esa ;kstuk izkjEHk ,oa lekfIr dh frfFk ugh n'kkZ;h x;h Fkh rFkk lkbZu cksMZ esa fdlh vU; dk;Z ;kstuk dk uke n'kkZ;k x;k FkkA
3	xzke iapk;r lkgc uxj ok0u0 10 esa eSu jksM ls fd'ku cgknqj ey ds ?kj rd ,oa eSu jksM ls Jh	0-90	¼i½fuekZ.k dk;Z izkjEHk djus gsrq vfxze /kujkf'k # 0-75 yk[k fnukad 24-07-2015 dks voeqDr dh x;h FkhA tcfd dk;Z fnukad 17-09-2015¼02 ekg

	vfer [k=h ds ?kj rd lh-lh- ekxZ fuekZ.k		foyEc ls½ dks izkjEHk fd;k x;k FkkA ¼ii½ lkbZu cksMZ esa ;kstuk izkjEHk ,oa lekfIr dh frfFk ugh n’kkZ;h x;h Fkh A
4	xzke Mslokyk esa vkUrfjd lMdksa ij lh-lh- ekxZ fuekZ.k	2-80	¼i½ lkbZu cksMZ esa ;kstuk izkjEHk ,oa lekfIr dh frfFk ugh n’kkZ;h x;h Fkh A
5	xzke _f”kds’k vfer xzke esa Jh Qrsg flag jk.kk ds ?kj ls Jherh nsodh nsoh ds ?kj rd lh-lh- ekxZ fuekZ.k	0-50	¼i½ dk;Z iwfrZ izek.k i= esa dk;Z lekfIr dh frfFk 16-09-2015 n’kkZ;h x;h Fkh tcfd eLVj jksy esa dk;Z lekfIr dh frfFk 14-09-2015 n’kkZ;h x;h FkhA ¼ii½ lkbZu cksMZ esa ;kstuk izkjEHk ,oa lekfIr dh frfFk ugh n’kkZ;h x;h Fkh A
6	gjkZokyk esa fl)iqje esa Jh jktdqekj ds ?kj ls Jh lqesaj pUn ekS;Z ds ?kj rd lh-lh- ekxZ fuekZ.k	0-64	¼i½fuekZ.k dk;Z izkjEHk djus gsrq vfxze /kujkf’k # 0-50 yk[k fnukad 24-07-2015 dks voeqDr dh x;h FkhA tcfd dk;Z fnukad 01-02-2016¼06 ekg foyEc ls½ dks izkjEHk fd;k x;k FkkA ¼ii½ lkbZu cksMZ esa ;kstuk izkjEHk ,oa lekfIr dh frfFk ugh n’kkZ;h x;h Fkh A
7	gjkZokyk es f?kljiMh esa Jh jfonkl eafnj ds vkaxu esa Q’kZ o pkgjnhokjh dk fuekZ.k dk;Z	1-16	¼i½fuekZ.k dk;Z izkjEHk djus gsrq vfxze /kujkf’k # 0-90 yk[k fnukad 24-07-2015 dks voeqDr dh x;h FkhA tcfd dk;Z fnukad 11-10-2015¼02 ekg foyEc ls½ dks izkjEHk fd;k x;k FkkA

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लेखापरीक्षा आपत्तियों का भविष्य में ध्यान रखा तथा इस प्रकार की त्रुटि नही होगी। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्यों को कार्यादेश के अनुसार नही कराया गया था।

अतः 13वें वित्त आयोग(क्षे0पं0अंश) से सम्बंधित कार्यों को कार्यादेश के विपरीत कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग4(ब)–2

प्रस्तर 04(अ)– राज्य वित्त से सम्बंधित रु 28.79 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत, डोईवाला के राज्य वित्त से सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में स्वीकृत कुल 128 कार्यों में से 33 कार्य, जिनकी कुल लागत रु 28. 79 के सापेक्ष रु 21.87 लाख की धनराशि व्यय के उपरान्त भी, लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे । आगे जांच में यह भी पाया गया कि इन कार्यों को प्रारम्भ हुए 08 से 27 माह का समय बीत चूका था जबकि कार्यादेश के अनुसार कार्यों को कार्यादेश की तिथि से 01 माह में पूर्ण किया जाना था। अपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत है–

dz–la–	o"kZ	dk;Z dk uke	ykxr ¼# yk[k esa½	O;; /kujkf'k	O;; /kujkf'k dh voeqDr frfFk	dk;Z dh fLFkfr
1	2014–15	मारखमग्रान्ट के चांदमारी के वार्ड 5 में संजय के घर के पास सी0सी0 रोड	2.50	2.00	28.07.2014	अपूर्ण
2	2015–16	लिस्ट्राबाद में हरिसिंह के घर से बृजपाल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	0.55	0.40	24.07.2015	अपूर्ण
3	2015–16	माजरीमाफी में रामसिंह के घर के पास सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1.30	0.95	24.07.2015	अपूर्ण
4	2015–16	माजरीमाफी में महिपाल सिंह के घर से श्रीमती थापा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1.00	0.75	24.07.2015	अपूर्ण
5	2015–16	माजरीमाफी नवादा मार्ग पर सुखराम के घर के पास पुलिया/सी0सी0 रोड निर्माण	0.50	0.35	24.07.2015	अपूर्ण
6	2015–16	ग्रम पंचायत लच्छीवाला वार्ड 9 में जंगलात मार्ग से कल्पना ठाकुर के घर तक सी0सी0 रोड	1.10	0.80	31.03.2016	अपूर्ण
7	2015–16	ग्रा0पं0 मारखमग्रान्ट के चांदमारी में मुख्य मार्ग बाबू के घर से रविन्द्र के घर के तक सी0सी0 रोड	1.00	0.75	31.03.2016	अपूर्ण
8	2015–16	ग्रम पंचायत लच्छीवाला के मिस्सरवाला कलां में जिंदल के घर से दीपक रावत के घर तक सी0सी0 रोड	0.45	0.30	31.03.2016	अपूर्ण
9	2015–16	ग्रम पंचायत मारखमग्रान्ट के कुडकावाला में मस्जिद के सामने	0.95	0.75	31.03.2016	अपूर्ण

		खुर्शीद के घर से सलमान के घर तक सी0सी0				
10	2015–16	रानीपोखरी ग्रान्ट में वाई0एस0 राणा के घर से मिथलेश लखेडा के घर तक सी0सी0 मार्ग	0.60	0.45	31.03.2016	अपूर्ण
11	2015–16	रानीपोखरी ग्रान्ट के दुनाली में गुलाब सिंह, संदीप पंवार व कृष्णा के घर से लखन के घर तक सी0सी0 मार्ग	0.85	0.70	31.03.2016	अपूर्ण
12	2015–16	रानीपोखरी ग्रान्ट के लिस्ट्रावाद में महनगरी में मैंन रोड से इकबाल के घर तक सी0सी0 मार्ग	0.45	0.30	31.03.2016	अपूर्ण
13	2015–16	माजरीमाफी में रविशर्मा के घर के पास सी0सी0 रोड	0.97	0.80	31.03.2016	अपूर्ण
14	2015–16	माजरीमाफी में योगम्बर बिष्ट के घर के पास सी0सी0 रोड	0.93	0.70	31.03.2016	अपूर्ण
15	2015–16	चकतुनवाला के नालीवाला में घनश्याम के घर शिव मंदिर की ओर सी0सी0 रोड	1.90	1.50	31.03.2016	अपूर्ण
16	2015–16	हर्रावाला में एन0एच0 72 के शिव मंदिर के निकट मिलन केन्द्र का फर्श एवं प्लास्टर कार्य	0.50	0.35	31.03.2016	अपूर्ण
17	2015–16	कौडसी के पुन्नीवाला में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1.00	0.75	31.03.2016	अपूर्ण
18	2015–16	गडूल के मठ में मंदिर के पास के पास पुस्ता निर्माण	0.50	0.35	31.03.2016	अपूर्ण
19	2015–16	गडूल के डिम्बर कालवन में सी0सी0 मार्ग निर्माण	0.70	0.50	31.03.2016	अपूर्ण
20	2015–16	गडूल के कालवन में सी0सी0 मार्ग निर्माण	0.60	0.45	31.03.2016	अपूर्ण
21	2015–16	रायवाला के वार्ड 02 में प्रवीन सिंह चौहान के घर से धर्मपाल सिंह नेगी के घर तक सी0सी0 रोड	1.92	1.50	31.03.2016	अपूर्ण
22	2015–16	रायवाला के वार्ड 03 में सुल्तान के घर से छविसिंह के घर तक सी0सी0 रोड	0.64	0.50	31.03.2016	अपूर्ण
23	2015–16	प्रतीतनगर में आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	0.64	0.45	31.03.2016	अपूर्ण
24	2015–16	छिदरवाला(नवाववाला) वार्ड 09 में शम्भू गुखंग के घर के पीछे से रामसिंह के घर पुलिया के पास तक सी0सी0 मार्ग	0.90	0.70	31.03.2016	अपूर्ण

25	2015–16	हरिपुरमला के वार्ड 8 में नागेन्द्र सक्सेना के घर से रामप्रसाद जोशी के घर की ओर सी0सी0 रोड	1.90	1.50	31.03.2016	अपूर्ण
26	2015–16	छिदरवाला के वार्ड 13 में पदम बहादुर के घर से सोवनसिंह के घर तक सी0सी0 रोड	1.00	0.75	31.03.2016	अपूर्ण
27	2015–16	गौहरीमाफी में कल्याण सिंह के घर के पास सी0सी0 रोड	1.00	0.75	31.03.2016	अपूर्ण
28	2015–16	रायवाला वार्ड 6 में कमल सिंह चौहान की दुकान से देशराज के घर तक सी0सी0 रोड	0.14	0.10	31.03.2016	अपूर्ण
29	2015–16	रायवाला वार्ड 4 में कृपाराम पोखरीयाल के घर से गोविन्दराम पोखरियाल के घर तक सी0सी0 रोड	0.41	0.30	31.03.2016	अपूर्ण
30	2015–16	रायवाला वार्ड 5 में महेन्द्र पोखरीयाल के घर से अशोक गाड के घर तक सी0सी0 रोड	0.37	0.30	31.03.2016	अपूर्ण
31	2015–16	रायवाला वार्ड 6 में मनमोहन सिंह नेगी के घर से देवेन्द्र पंवार के घर तक सी0सी0 रोड	0.19	0.12	31.03.2016	अपूर्ण
32	2015–16	रायवाला वार्ड 6 में महिपाल सिंह पंवार के घर से रामप्रसाद जुगलान के घर तक सी0सी0 रोड	0.33	0.25	31.03.2016	अपूर्ण
33	2015–16	ग्रा0पं0 मारखमग्रान्ट के ग्राम खैरी में बाबा बालकनाथ मंदिर का सौन्दर्यकरण कार्य	1.00	0.75	31.03.2016	अपूर्ण
		कुल योग	**28.79**	**21.87**		

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ–साथ अपूर्ण कार्यों की लागत में वृद्धि एवं कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने से इन्कार नही किया जा सकता है।

अतः रु 28.79 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग4(ब)–2

प्रस्तर 4(ब): क्षेत्र पंचायत निधि के अंतर्गत ` 5.63 लाख की धनराशि के कार्यों का अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत डोईवाला के क्षेत्र पंचायत निधि योजना के वर्ष 2014-15 & 2015-16 के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि कार्य आदेश के अनुसार योजना को कार्यादेश तिथि से 30 दिन के अंदर पूर्ण किया जाना था किन्तु ` **3.60 लाख** की धनराशि का अग्रिम भुगतान किए जाने के 02 से 16 माह बीत जाने के उपरांत भी ` **5.63 लाख** की धनराशि के निम्नांकित कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे: -

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रु लाख में)	व्यय धनराशि (रु लाख में)	चेक संख्या / भुगतान की तिथि	कार्यदेश से लेखापरीक्षा तिथि तक अवधि
1	ग्राम पंचायत गढ़ीमयवक में विक्रम रावत के घर से नहर तक सी सी रोड निर्माण	62500	40000	261617/ 11/09/15	14 माह
2	ग्राम पंचायत मियांवाला के दिव्य विहार में आर एस गुसाई के घर से टी एस नेगी के घर तक सी सी रोड निर्माण	62500	40000	261609 / 24/07/15	16 माह
3	ग्राम पंचायत छिददरवाला के वार्ड स. 08 माया देवी की दुकान से आगे सी सी मार्ग	62500	40000	261639/ 06/04/16	07 माह
4	ग्राम चकजोगीवाला में गंगाराम शाही के खेत से मार्कन्डेय सेंमवाल के मकान तक सी सी मार्ग	62500	40000	261637/ 18/04/16	07 माह
5	ग्राम पं. माजरी माफी एवं मोहकमपुर में स्ट्रीट लाइट	62500	40000	261628/ 04/04/16	07 माह
6	ग्राम पंचायत बालावाला के वार्ड 01 से 10 तक पथ प्रकाश हेतु स्ट्रीट लाइट	62500	40000	261632 04/04/16	07 माह
7	कांडरवाला में निर्मल सिंह नेगी के घर की ओर सी सी मार्ग	62500	40000	261651/ 07/09/16	02 माह
8	हर्रावाला में श्री अजय सिंह के घर के पास/ नेगी के घर के पास नहर/पुलिया निर्माण	62500	40000	261653/ 07/09/16	02 माह
9	ग्राम पंचायत बड़ोंवाला में संपर्क मार्ग पर श्री पुरण सिंह राणा के घर के पास पुलिया निर्माण	62500	40000	261650/ 07/09/16	02 माह
कुल योग		**562500**	**360000**		

उक्त कार्यों के अपूर्ण रहने से आम जनता को इससे मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ रहा था साथ ही समय बीत जाने से कार्य के क्षरण होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में आंकड़ों की पुष्टि करते हुये यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त कार्य 30 दिन के अंदर पूर्ण किया जाना था जबकि कार्य के लिए अग्रिम दिये हुये 02 से 16 माह बीत जाने के उपरांत भी कार्य अपूर्ण थे।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब) - दो

प्रस्तर 5(अ):- उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट)नियमावली 2008 के विरुद्ध सांसद निधि के अंतर्गत बिना निविदा आमंत्रित किए ` 53 लाख की धनराशि के कार्यों का कार्यादेश पर किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट)नियमावली 2008 के नियम 39 के अनुसार बिना निविदा आमंत्रित किए कार्यादेश (Workorder) पर आधारित निर्माण कार्य-अधिप्राप्ति- सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर 3.00 लाख तक लागत के कार्य करा सकता है। आपात स्थिति में बिना निविदा/कार्यादेश के माध्यम से 5.00 लाख तक के कार्य कराये जा सकते हैं, जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए। इस संबंध में नियम 42 का पालन किया जाय तथा उक्त प्रयोजन हेतु मात्र इसलिए कार्य के अलग अलग टुकड़े न किए जाय कि उच्च स्तर से इसके लिए आवश्यक अनुमति न लेनी पड़े अर्थात कार्य को टुकड़ों में विभाजित न किया जाय।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइंस में भी निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पत्रांक 901/XI/13/56(21)/2007 दिनांक 17 जून 2013 के अनुसार दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। इनके अनुसार MPLADS के अंतर्गत 3.00 लाख तक के कार्य विभागीय पद्धति (मस्टररोल) के आधार पर कराया जायेगा एवं उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट)नियमावली 2008 के अध्याय-3 में निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति विषयक नियम 39 के बिना निविदा आमंत्रित किए कार्यादेश (Workorder) के संदर्भ उल्लिखित आपातस्थिति के संबंध में मा. सदस्य द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि किसी कार्य विशेष में आपात स्थिति है।

क्षेत्र पंचायत डोईवाला के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्ष 2014-15 & 2015-16 के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा निम्न कार्य कार्यादेश (Workorder) पर करवाए गए/जा रहे थे: -

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रु लाख में)	व्यय धनराशि (रु लाख में)
1	अठुरवाला ऋषिकेश मेन रोड में श्री जगदंबा डंगवाल के घर से आर पी कांडवाल के घर की ओर सी सी मार्ग निर्माण कार्य	3.50	3.50
2	ग्राम नथुवावाला के अंतर्गत भागीरथी इंकलेव गूलर घाटी रोड पर 200 मी सी सी मार्ग निर्माण	4.00	4.00

3	बालावाला में प्रयोगशाला का निर्माण कार्य	3.50	3.50
4	ग्राम सारंधरवाला भोगपुर में श्री राम सिंह के घर से रमेश तिवारी के घर तक सी सी एवं पुस्ता निर्माण का कार्य	4.00	4.00
5	ग्राम भानियावाला के अंतर्गत नूनावाला हरिद्वार रोड से सपेरा बस्ती तक सी सी मार्ग	5.00	5.00
6	ग्राम ऋषिकेश में रामलीला प्रांगण हेतु टिन शेड का निर्माण कार्य	8.00	3.00
7	ग्राम जॉलीग्रांट सेन चौकी नाले पर पुलिया एवं सी सी मार्ग निर्माण कार्य	3.50	3.50
8	बापू ग्राम में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में श्री कण्ड्पाल के घर से श्री रवीद्र प्रधान के घर तक सी.सी. निर्माण	3.50	2.62
9	सरस्वती विधा मंदिर अठुरवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य	5.00	3.75
10	सरस्वती विधा मंदिर अठुरवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य	5.00	3.75
11	श्री हरज्ञान सरस्वती विधा मंदिर डोईवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण	4.00	3.00
12	श्री हरज्ञान सरस्वती विधा मंदिर डोईवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण	4.00	3.00
कुल योग		53.00	

आगे जांच में पाया गया कि क्रम संख्या 9 & 10 पर अंकित कार्य योजना सरस्वती विधा मंदिर अठुरवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य (` 5.00 लाख प्रत्येक की दो योजनायेँ) एवं 11 & 12 पर अंकित कार्य योजना श्री हरज्ञान सरस्वती विधा मंदिर डोईवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण (` 4.00 लाख प्रत्येक की दो योजनायेँ) कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण देहरादून के पत्रांक 852/सांसद निधि/(2014-15)2015-16 दिनांक 21 नवंबर 2015 के अनुसार क्रमश ` 10.00 लाख एवं ` 8.00 लाख की योजनायेँ थी जिन्हे टुकड़ों में विभक्त किया गया था। अभिलेखों में पाया गया कि कार्यों को टुकड़ों में बांटने हेतु कोई स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बाते कि योजनाएँ श्रमपरक हैं इसलिए कार्य मस्टर रोल पर कराये गए थे। यह भी स्पष्ट किया कि कार्य आपातस्थिति में नहीं कराये

गए थे। क्रम संख्या 9 & 10 पर अंकित कार्यों को टुकड़ों में कराये जाने के संबंध में इकाई द्वारा बताया गया कि आवश्यकतानुसार कार्य करवाए गए थे, भविष्य में कार्यो को टुकड़ों में नहीं कराया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट)नियमावली 2008 के नियमों का अनुपालन नहीं किया गया था।

अतः ` 53 लाख की धनराशि के कार्यों का कार्यादेश पर किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 5(ब): सांसद निधि के अंतर्गत ` 37.50 लाख की धनराशि के कार्यों का अपूर्ण/अनारम्भ रहना।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अंतर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत कार्यों को 90 दिन के अंदर अवश्य पूर्ण कर लिया जाना था। कार्य आदेश के अनुसार कार्य समय अवधि में पूर्ण न कराये जाने की दशा में भुगतान की गयी धनराशि की एकमुस्त वसूली 10 प्रतिशत व्याज सहित वसूली जाएगी।

क्षेत्र पंचायत डोईवाला के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्ष 2014-15 & 2015-16 के अभिलेखो की जांच में पाया गया कि 08 से 30 महीने गुजर जाने एवं **`28.12 लाख** की धनराशि व्यय होने के उपरांत भी **`37.50 लाख** की धनराशि के निम्नांकित कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे: -

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रु लाख में)	व्यय धनराशि (रु लाख में)	चेक संख्या / भुगतान की तिथि	कार्यदेश से लेखापरीक्षा तिथि तक अवधि
1	ग्राम सभा रायवाला तथा गौहरिमाफ़ी के मध्य सुसवा नदी पर पुलिया निर्माण कार्य	2.00	1.50	106276/ 28/04/14	30 माह
2	ग्राम ऋषिकेश के अमित ग्राम श्री कौशिक के घर से श्री बड़ौला के घर तक सी सी मार्ग	3.00	2.25	509365/ 01/10/15	26 माह
3	ग्राम ऋषिकेश में रामलीला प्रांगण हेतु टिन शेड का निर्माण कार्य	8.00	3.00	504369/ 13/10/15	25 माह
4	ग्राम जीवन वाला में शेरगढ़ रोड से श्री जगदीश के घर तक सी सी मार्ग	4.00	3.00	504370/ 13/10/15	13 माह
5	ग्राम ऋषिकेश में पारस इंटर स्कूल श्यामपुर	3.00	2.25	504381/	11 माह

	खदरी ऋषिकेश में विधालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य			14/12/15	
6	बापू ग्राम में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में श्री कण्ड्पाल के घर से श्री रवीद्र प्रधान के घर तक सी.सी. निर्माण	3.50	2.62	515026/ 10/02/16	09 माह
7	सरस्वती विधा मंदिर अठुरवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य	5.00	3.75	515034/ 18/03/16	08 माह
8	सरस्वती विधा मंदिर अठुरवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य	5.00	3.75	515035/ 18/03/16	08 माह
9	श्री हरज्ञान सरस्वती विधा मंदिर डोईवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण	4.00	3.00	515036/ 18/03/16	08 माह
10	श्री हरज्ञान सरस्वती विधा मंदिर डोईवाला में कक्षा कक्ष का निर्माण	4.00	3.00	515037/ 18/03/16	08 माह
कुल योग		**37.50**	**28.12**		

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि क्रम संख्या 03 पर अंकित कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। सभी कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यों को 90 दिनों के अंदर पूर्ण कर लिया जाना था।

अतः ` 37.50 लाख की धनराशि के कार्यों का अपूर्ण/अनारम्भ रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब) - दो

प्रस्तर 6(अ):- सांसद निधि के अंतर्गत ` 832668.00 धनराशि की निर्माण सामग्री का अपंजीकृत फर्म से क्रय किया जाना एवं उसके सापेक्ष ` 58000.00 धनराशि की रॉयल्टी काटकर राजकोष में जमा न किया जाना।

सांसद निधि के अंतर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किए गए कार्यदेशों में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि व्यय वाउचर पंजीकृत फर्म के ही स्वीकार किए जाएंगे।

क्षेत्र पंचायत डोइवाला के सांसद निधि के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में करवाए गए चयनित कार्यों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा ` 832668.00 धनराशि की निर्माण सामग्री का क्रय अपंजीकृत फर्म से किया गया था **(संलग्नक अ)।** उक्त निर्माण सामग्री में ` 653898.00 की सामग्री **(संलग्नक ब)** नदी तल या भिन्न स्थानों से प्राप्त होने वाली सामग्री थी जिस पर उत्तराखंड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2013 के अनुसार स्वामित्व (रॉयल्टी) की कटौती कर राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था। चूंकि उक्त सामग्री अपंजीकृत फ़र्मों से क्रय की गयी थी अतः इस सामग्री पर फर्म द्वारा रॉयल्टी की धनराशि राजकोष में जमा न किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। इकाई द्वारा इन फ़र्मों के बिलों से ` **58000.00 धनराशि (संलग्नक ब)** रायल्टी की कटौती कर राजकोष में जमा नहीं की गयी थी जो की राजस्व की हानि थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पूर्व में रायल्टी काटी गयी थी लेकिन लेखापरीक्षा के प्रश्नगत अवधि में रॉयल्टी नहीं काटी गयी थी। भविष्य में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा तथा पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी।

6(ब) : विधायक निधि के अंतर्गत ` 123616.00 धनराशि की निर्माण सामग्री का अपंजीकृत फर्म से क्रय किया जाना एवं उसके सापेक्ष ` 4475.00 धनराशि की रॉयल्टी काटकर राजकोष में जमा न किया जाना।

क्षेत्र पंचायत डोईवाला के क्षेत्र पंचायत निधि योजना के वर्ष 2014-15 & 2015-16 के चयनित कार्यों में से निम्नलिखित कार्यों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों के प्राक्कलन में सामग्री की मात्रा का अंकन नहीं किया गया था एवं इन कार्यों में प्रयुक्त रू 123616/- **(संलग्नक स)** की सामग्री का क्रय अपंजीकृत फर्म से किया गया था।

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि (रु)	व्यय धनराशि (रु)
1	वार्ड संख्या 10, सैनिक मोहल्ला में सी सी रोड निर्माण	62500	62492
2	ग्राम घमंडपुर में सी सी रोड निर्माण	62500	62500
3	ग्राम फ़तेहपुर टांडा वार्ड संख्या 08 में श्री रवीद्र सिंह के घर से श्री इंद्रपाल के घर की ओर सीसी मार्ग	62500	66500

आगे जांच में पाया गया कि उपरोक्त कार्यों में प्रयुक्त रू 63141/- **(संलग्नक स)** की सामग्री जो कि नदी तल या भिन्न स्थानों से प्राप्त होने उपखनिजों से संबन्धित सामग्री थी एवं जिस पर उत्तराखंड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2013 के अनुसार स्वामित्व (रॉयल्टी) की कटौती कर राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था। चूंकि उक्त सामग्री का क्रय अपंजीकृत फर्म से किया था अतः इस सामग्री पर फर्म द्वारा रॉयल्टी की धनराशि राजकोष में जमा न किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। इकाई द्वारा उक्त बिलों के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि जो लगभग रु. 4475/- **(संलग्नक स)** की कटौती कर राजकोष जमा नहीं किया था जिससे राजस्व की हानि हुयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये भविष्य में अनुपालन किए जाने का आश्वासन दिया था।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यदेश में भी स्पष्ट रूप से पंजीकृत फर्म से क्रय किए जाने के निर्देश थे। अतः प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4 (ब) - दो</u>

प्रस्तर 7:- म न रे गा योजना के अंतर्गत कराये गये 23.77 लाख के निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना तथा अन्य कमियाँ पाया जाना

म न रे गा योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य कार्यादेश तिथि से दो माह के अंतर्गत पूर्ण किए जाने थे साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करते हुये ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समित के माध्यम से सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए था । योजना की अंतिम माप पुस्तिका की फोटो प्रति, कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, सतर्कता एवं निगरानी समित का प्रस्ताव एवं योजना का फोटोग्राफ कार्यालय मे प्रस्तुत करने पर ही कार्य का अंतिम भुगतान किया जाएगा । योजना पर मजदूरों को सप्ताह में अनिवार्य रूप से भुगतान कर MIS डाटा एंट्री हेतु दूसरे सप्ताह में पत्रावली कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी । साथ ही योजना का सामाजिक लेखापरीक्षा भी दिये गए प्रारूप में सक्षम अधिकारी / सैक्टर अधिकारी की देख रेख में किया जाना अनिवार्य होगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित सभी निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण नहीं किया गया था **(संलग्नक क)।** अधिप्राप्ति नियमावली का पालन जैसे क्रय समिति की संस्तुति किए जाने का प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध । कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व का एवं कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ में अंतर था। फाइलों में सतर्कता एवं निगरानी समिति का कोई प्रस्ताव संलग्न नहीं था और ना ही सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था ।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि कार्य पूर्ण हो चुके हैं आगे के वर्षों में लेखापरीक्षा आपत्ति का परिपालन किया जाएगा । उत्तर मन्य नहीं था क्योंकि पाँच निर्माण कार्यों मे विविध कमियाँ पाई गई थी । प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

संलग्नक “क “

<u>कार्यालय खंड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत डोईवाला</u>

म न रे गा योजना के अंतर्गत कराये गए निर्माण कार्यों मे से चयनित निर्माण कार्यों की विस्तृत लेखापरीक्षा में पाई गई कमियाँ ।

क्रमांक	योजना का नाम	पाई गई कमियाँ
1	ग्राम पंचायत मारखमग्रांट के बुल्लावाला में मंगल सिंह के खेत के पास पुस्ता निर्माण (स्वीकृत लागत 4.00 लाख)	1. कार्यादेश दिनांक 8-6-2015 को जारी किया गया था लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य का अंतिम भुगतान न होने से कार्य कब पूर्ण किया गया यह स्पष्ट नहीं था । जबकि यह कार्य तीन माह में पूर्ण किया जाना था । 2. प्रस्तावित स्थल के फोटोग्राफ एवं कार्य पूर्ण करने के बाद लगाए गए फोटोग्राफ में अंतर था जिससे स्पष्ट नहीं था की उक्त स्थल पर ही कार्य कराया गया है । 3. रूपए 4.01 लाख के आगणन को काटकर 4.00 किया गया था जिससे स्पष्ट नहीं था की उक्त धनराशि किस मद मैं कम की गई थी । 4. श्रमिकों की सूची कब तैयार की गई थी दिनांक उपलब्ध नहीं थी। सूची कितनी पुरानी थी या अध्यतन थी ज्ञात नहीं हो सका । 5. योजना के अंतर्गत कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक 16 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपूर्ण था। 6. पत्रावली में MB की छायाप्रति एवं सामग्री अंश पर व्यय के समर्थन में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं थे। 7. रायल्टी की धनराशि नहीं काटी गई थी ।
2	ग्राम पंचायत मारखमग्रांट के बुल्लावाला वार्ड नंबर 2 में पुस्ता निर्माण (स्वीकृत लागत 4.92 लाख)	1 कार्यादेश दिनांक 8-6-2015 को जारी किया गया था लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य का अंतिम भुगतान न होने से कार्य कब पूर्ण किया गया यह स्पष्ट नहीं था । जबकि यह कार्य तीन माह में पूर्ण किया जाना था । 2. प्रस्ताव में 100 मीटर लंबाई थी जबकि estimate में 116 मीटर तथा board पर 116 दर्शयी गई है । 3. योजना के अंतर्गत कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक 16 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अपूर्ण था। 4. पत्रावली में MB की छायाप्रति एवं सामाग्री अंश पर व्यय के समर्थन में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं थे। 5. रायल्टी की धनराशि नहीं काटी गई थी । 6. विभिन्न बैंकों को भेजी गई wage list पर लेखकार तथा पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान आदि के हस्ताक्षर नहीं थे ।
3	ग्राम पंचायत जीवनवाला मे पुस्ता निर्माण कार्य फ़तेहपुर डांडा गुरुवाचन सिंह के घर से जगीर के घर तक (स्वीकृत लागत 4.98 लाख)	1. 16-1-2015 को कार्य आरंभ किया गया था एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अनुसार दिनांक 22-3-2015 को कार्य पूर्ण होना दर्शाया गया था । लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक 21 माह व्यतीत होने के बाद भी अंतिम भुगतान नहीं किया गया था । फ़ाइल में संलग्न बिल/वाउचर (07 18-2-2015) एवं (04 24-1-2015) जोकि क्रमश: 18652/- एवं 26149/- के थे

		अपंजीकृत सप्लायर कूडियाल building material supplier डोईवाला के थे जिसे with royalty भुगतान किया गया था जबकि यह रॉयल्टी विभाग द्वारा काटी जानी थी एवं संबन्धित विभाग के लेखा शीर्ष में जमा की जानी चाहिए थी । 2. फ़ाइल में MB की छाया प्रति संलग्न नहीं थी जबकि कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र रुपये 497961/-का संलग्न था जबकि फोटोग्राफ अपूर्ण कार्य का संलग्न किया गया था।
4	ग्राम पंचायत मारखमग्रांट के ग्राम खैरी में ज्योति प्रकाश सकलानी के खेत के बहुगुणा के खेत तक तार जाल/ पुस्ता निर्माण (स्वीकृत लागत 4.93 लाख)	1. कार्यादेश दिनांक 8-6-2015 को जारी किया गया था 16 माह व्यतीत हो जाने पर भी कार्य अपूर्ण था तथा इसका अंतिम भुगतान नहीं किया गया था। 2. कार्य स्थल पर लगाए गए बोर्ड से स्पष्ट था कि कार्य पूर्ण हो चुका था लेकिन कब पूर्ण किया गया इसका उल्लेख नहीं किया गया था। 3. रूपए 4.95 लाख के आगणन को काटकर 4.93 किया गया था लेकिन स्पष्ट नहीं था की उक्त धनराशि किस मद मैं कम की गई थी । 4. फ़ाइल में MB की छाया प्रति संलग्न नहीं थी और न ही सामाग्री क्रय के वाउचर उपलब्ध थे । 5. **रायल्टी की धनराशि नहीं काटी गई थी ।**
5	ग्राम पंचायत मारखमग्रांट के ग्राम झबरावला में त्रिलोचन के खेत में पुस्ता निर्माण (लागत 4.94 लाख)	1. कार्यादेश दिनांक 8-6-2015 को जारी किया गया था 16 माह व्यतीत हो जाने पर भी कार्य अपूर्ण था एवं कार्य पूर्ण करने के बाद फोटोग्राफ पर लगे बोर्ड एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 26-6-2015 दर्शाई गई थी जबकि लेखापरीक्षा तिथि तक इसका पूर्ण भुगतान नहीं किया गया था। 2. MB 493450/- की, की गई थी लेकिन MB में ही धनराशि को round off करते हुए 550/- बढाते हुए 494000/- दर्शाया गया था । 3. फ़ाइल में सामाग्री क्रय हेतु वाउचर सलग्न नहीं थे । 4. **रायल्टी की धनराशि नहीं काटी गई थी ।**

<u>भाग 4 (ब) - दो</u>

प्रस्तर 08(अ)– विधायक निधि के अंतर्गत रु 50.42 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहना।

क्षेत्र पंचायत, डोईवाला के विधायक निधि से सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में स्वीकृत कुल 240 कार्यों में से 26 कार्य, जिनकी कुल लागत रु 50.42 लाख के सापेक्ष रु 37.73 लाख की धनराशि व्यय के उपरान्त भी, लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे । आगे जांच में यह भी पाया गया कि इन कार्यों को प्रारम्भ हुए 07 से 20 माह का समय बीत चूका था जबकि कार्यादेश के अनुसार कार्यों को कार्यादेश की तिथि से 02 माह में पूर्ण किया जाना था तथा कार्य समयावधि में पूर्ण न कराये जाने की दशा में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली ब्याज सहित की जायेगी। अपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत है–

dz- la-	dk;Z dk uke	ykxr ¼# yk[k esa½	O;; /kujkf'k	O;; /kujkf'k dh voeqDr frfFk	dk;kZns'k ls ys[kkijh{kk frfFk rd vof/k
1	ग्रम पंचायत ऋषिकेष के चन्द्रशेखर नगर निकट दंर्गा मंदिर धोबीघाट में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	3.00	2.25	18.03.2015	19 माह
2	ग्रम पंचायत ऋषिकेष के चन्द्रशेखर नगर निकट दंर्गा मंदिर धोबीघाट के बाउन्ड्रीवाल का अवशेष निर्माण	1.00	0.75	18.03.2015	19 माह
3	ग्रम पंचायत मेहुवाला में शहीद माहवीर सिंह राणा के स्मारक पर शैड निर्माण	1.48	1.11	25.02.2015	20 माह
4	ग्रम पंचायत ऋषिकेष के वार्ड 08 में सामुदायिक भवन में शैचालय निर्माण	1.00	0.75	09.03.2015	20 माह
5	ग्रम पंचायत खैरीखुर्द के दुर्गा विहार में दुगामाता मंदिर कक्ष निर्माण	3.00	2.25	12.05.2015	17 माह
6	ऋषिकेष के सूर्यकुण्ड माया कुण्ड में स्वामी विवेकानन्द वाटिका में स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति हेतु स्टील रेलिंग निमार्ण	1.00	0.75	12.05.2015	17 माह
7	ग्रा0पं0 गौहरीमाफी में प्रा0स्कूल से रोशनलाल के घर की ओर सी.सी. मार्ग	2.00	1.50	02.07.2015	16 माह
8	ग्रा0पं0 गौहरीमाफी में स्ट्रीट	1.10	0.75	02.07.2015	16 माह

	लाईट लगाने का कार्य				
9	प्रतीतनगर बालमिकी बस्ती में सामुदायिक भवन का अवशेष कार्य	2.50	1.87	02.07.2015	16 माह
10	ग्रा0पं0 साहबनगर में हिमालयेश्वर महादेव मंदिर में शैड निर्माण कार्य	2.00	1.50	02.07.2015	16 माह
11	ग्रा0पं0 खदरीखडकमाफ वार्ड 10 अनिता खडरी ब्यास के घर से सुरेन्द्र कैन्तुरा के घर की ओर सी.सी. मार्ग	2.40	1.80	02.07.2015	16 माह
12	रीता इण्टर कालेज गढी में कम्प्यूटर/प्रिंटर क्रय	0.52	0.39	02.07.2015	16 माह
13	ग्रा0पं0 छिदरवाला में कलीजीधर सिंह सभा गंरूद्वारे के पास कक्ष निर्माण	3.00	2.25	13.08.2015	14 माह
14	ग्रा0पं0 प्रतीतनगर के वार्ड 8,9 एंव 14 में 05 सोलर लाईट लगाने का कार्य	0.80	0.60	03.10.2015	13 माह
15	ग्रा0पं0 खदरीखडकमाफ में रा0इ0 कालेज में दर्शक दीर्घा का निर्माण कार्य	2.00	1.50	16.02.2016	08 माह
16	ग्रा0पं0 गुमानीवाला में गली न0 06 ओम विहार कालोनी में ओमराव सिंह खत्री के घर से जोशी के घर तक सी.सी. मार्ग	1.25	0.93	16.02.2016	08 माह
17	ग्रा0पं0 हरिपुरकला राम विहार गली न0 6 में श्रीमती सुषमा असवाल के घर से गौड हार्डवेयर तक सीवर लाईन का निर्माण	2.53	1.90	16.02.2016	08 माह
18	ग्रा0पं0 प्रतीतनगर में हनुमान चौक के पास यूरिनल निर्माण कार्य	1.30	0.98	16.02.2016	08 माह
19	ग्रा0पं0 ऋषिकेष में सुर्यकुण्ड माया कुण्ड में विवेकानन्द वाटिाक में विवेकानन्द की मूर्ति में स्टील रेलिंग का अवशेष निर्माण कार्य	0.29	0.22	16.02.2016	08 माह
20	ग्रा0पं0 गुमानीवाला में वार्ड न0 06 में नव चेतना जू0हा0 स्कूल	3.00	2.25	16.02.2016	08 माह

	में कक्ष निर्माण				
21	ग्रा0पं0 ऋषिकेष के शास्त्रीनगर में द्वार निर्माण	2.50	1.87	19.02.2016	08 माह
22	ग्रा0पं0 ऋषिकेष के शास्त्रीनगर में बापूग्राम में गंगोत्री विद्या निकेतन स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	3.00	2.25	14.03.2016	07 माह
23	ग्रा0पं0 ऋषिकेष के विकास कालोनी में स्वामी नित्यानन्द सरस्वती शिशु मंदिर में कक्ष निर्माण	3.00	2.25	14.03.2016	07 माह
24	ग्रा0पं0 श्यामपुर मल्ला फार्म वा0 14 में त्रिलोक व्यास के घर से धनपाल सिंह बिष्ट के घर तक सी.सी. मार्ग	1.55	1.16	14.03.2016	07 माह
25	ग्रा0पं0 हरिपुरकलां राम विहार गली न0 12 में सुनील कुमार ओझा के घर से कण्डवाल के घर तक सीवर लाईन का कार्य	1.20	0.90	14.03.2016	07 माह
26	ग्रा0पं0 ऋषिकेष सर्वहारा नगर वार्ड 3 में शिव मंदिर में सामुदायिक केन्द्र निर्माण कार्य	4.00	3.00	14.03.2016	07 माह
		50.42	**37.73**		

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि समस्त अपूर्ण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि समय व्यतीत होने के साथ–साथ अपूर्ण कार्यों की लागत में वृद्धि एवं कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होने से इन्कार नही किया जा सकता है।

अतः रु 50.42 लाख के कार्यों का अपूर्ण रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर 8(ब):- 2.50 लाख के निर्माण कार्यों की पत्रवालियों का अनियमित रखरखाव व त्रुटिपूर्ण लेखन।

क्षेत्र पंचायत डोइवाला चयनित माह से संबन्धित निर्माण कार्यो की पत्रवालियों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यो की पत्रवालियों में क्रय की गयी सामग्री की मात्रा एवं माप पुस्तिका में अंकित उपयोग की गयी सामग्री की मात्रा में काफी अंतर था: -

कार्य का नाम	अनुमानित लागत	व्यय धनराशि	सामग्री का नाम	एमबी के अनुसार उपभोग की गयी सामग्री	बिल वाउचर के अनुसार क्रय की गयी सामग्री
काण्डर वाला में नवीन जोशी के घर की ओर सी सी सड़क	1.40 लाख	1.40 लाख	सीमेंट	175 बैग	175 बैग
			कोर सैंड	12.53 घ.मी.	--
			20 एम एम रोड़ी	22.64 घ.मी.	31.71 घ.मी.
			40 एम एम रोड़ी	2.37 घ.मी.	11.84 घ.मी.

काण्डर वाला में चंदन सिंह के घर से विहरीलाल के घर की ओर सी सी सड़क	1.10 लाख	1.09 लाख	सीमेंट	111 बैग	121 बैग
			कोर सैंड	10.40 घ.मी.	11.34 घ.मी.
			20 एम एम रोड़ी	9.77 घ.मी.	10.58 घ.मी.
			40 एम एम रोड़ी	10.79 घ.मी.	11.84 घ.मी.
कुल योग	**2.50 लाख**	**2.49 लाख**			

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि बिल-वाउचर एक-दूसरी पत्रवालियों से संलग्न होने से योग में त्रुटि थी, त्रुटिशोधन कर आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण अंकन को भविष्य के लिए नोट किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिल-वाउचर में त्रुटिपूर्ण अंकन वित्तीय अनियमितताओं को दर्शाता है। अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 8(स):- विधायक निधि के अंतर्गत किए गए 16.05 लाख के निर्माण कार्यों की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियाँ।

क्षेत्र पंचायत डोईवाला के अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे विधायक निधि के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में कराये गये कार्यों की जांच में पाया गया कि इन निर्माण कार्यों हेतु दिये गए कार्यादेश में निम्नलिखित शर्तें की गई थी ।

1. योजना का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार 2 माह में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है निर्धारित समय एवं प्राक्कलन मे प्रावधानित विशिष्टियों के द्वारा न करने पर भुगतान की गई धनराशि एक मुस्त ब्याज सहित वसूली जाएगी ।
2. योजना का निर्माण कार्य कनिष्ठ अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ ल. सि . विकास खंड डोईवाला की तकनीकी देखरेख में सम्पन्न होगा ।
3. योजना पर साइन बोर्ड लगाने अनिवार्य है जिसपर पीले धरातल पर काले अक्षरों से निम्न बातें लिखी जाएंगी :
   अ . कार्य / योजना का नाम **ब .** माननीय विधायक जी का नाम, **स .** स्वीकृत धनराशि **द .** कार्यदायी संस्था का नाम **य .** कार्य की भौतिक माप **र .** कार्य प्रारम्भ की तिथि **ल .** कार्य पूर्ण होने की तिथि **व .** विकास खंड का नाम ।
4. योजना पूर्ण होने पर योजना के फोटोग्राफ जिसमे साइन बोर्ड स्पष्ट दिखाई दे प्रस्तुत करना होगा ।
5. योजना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता उच्च कोटि की होनी आवश्यक है । घटिया निर्माण सामाग्री प्रयुक्त करने पर अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा । यदि किया गया हो तो उसकी एकमुस्त वसूली की जाएगी।
6. सामग्री क्रय हेतु उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन किया जाए ।

   अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य विलंब से पूर्ण किए गए थे जबकि कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी । योजना पर लगाए गए साइन बोर्ड पर कार्य की भौतिक माप, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि दर्ज नहीं थी । सामग्री हेतु गुणवत्ता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया था । साथ ही यह भी पाया गया कि सी सी निर्माण कार्य आदि पर निर्माण कार्य तकनीकी विशेषज्ञ जैसे कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिक जैसे राज मिस्त्री, वेल्डर, आदि की परिश्रिमिक का दावा मास्टर रोल में नहीं किया गया था । जिससे स्पष्ट नहीं था कि निर्माण कार्य कुशल (तकनीकी) श्रीमिकों से कराया गया था या मजदूरों से।

क्रमांक/ वर्ष	योजना का नाम	पाई गई कमियाँ
1 2015-16	ग्रा . पं . ऋषिकेश के कृष्णनगर कालोनी में रमेश के घर से महेंद्र के घर तक सी सी रोड निर्माण (लागत 2.55 लाख)	1. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ में सी सी मार्ग पहले से बना हुआ है । जबकि सी सी रोड बनने के बाद का फोटोग्राफ फ़ाइल में नहीं है केवल बोर्ड का फोटोग्राफ लगाया गया था । साथ ही बोर्ड पर कार्य कब पूर्ण हुआ यह विवरण दर्ज नहीं था । 2. Muster Roll पर उपस्थिती लेने वाले के हस्ताक्षर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या, ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर मौजूद नहीं था । 3. निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामग्री अपंजीकृत

		सप्लायर से(विवेक बिल्डिंग मटिरियल सप्लायर,ऋषिकेश) से क्रय की गई थी। साथ ही क्रय किए गये मटेरियल पर रॉयल्टी नहीं काटी गयी थी । 4. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र 2,55,151/- का प्रस्तुत किया गया था जबकि MB 2,55,000/- की की गई थी। शेष धनराशि किस मद की काटी गई यह स्पष्ट नहीं था। 5. MB की छाया प्रति फ़ाइल मे संलग्न नहीं थी।
2 2015-16	ग्राम पंचायत छिद्दरवाला के भद्रकाली मंदिर खेड़ा परिसर में हाल का निर्माण (लागत 3.00 लाख)	1. कार्य पूर्ण करने की तिथि को ही अधिकांश सामाग्री खरीदी गई थी एवं कार्य विलंब से पूर्ण किया गया था। 2. Muster Roll पर उपस्थिती लेने वाले के हस्ताक्षर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या, ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर मौजूद नहीं था । 3. अधिप्राप्ति नियमावली का पालन नहीं किया गया था अर्थात क्रय समित का गठन एवं उसके द्वारा दिये जाने वाला सामाग्री की गुणवत्ता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था । 4. निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामाग्री अपंजीकृत सप्लायर से खरीदी गई थी एवं रायल्टी नहीं काटी गई थी । 5. MB के अनुसार निर्माण कार्य की कुल धनराशि 300047/- थी जबकि कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में 300056/- दर्शये गए थे एवं भुगतान 300000/- का किया गया था। अंतर की धनराशि स्पष्ट नहीं की गई थी ।
3 2015-16	ग्रा . पं . खेरीकलाँ के वार्ड नं 9 में हरीसिंह के घर से रामपाल भगत के मंदिर की ओर सी सी रोड निर्माण (लागत 2.80 लाख)	1. निर्माण कार्य के पूर्व के फोटोग्राफ एवं बाद के फोटोग्राफ में स्थान स्पष्ट नहीं था। उसी स्थान पर निर्माण हुआ यह स्पष्ट नहीं था। 2. Muster Roll पर उपस्थिती लेने वाले के हस्ताक्षर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या, ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर मौजूद नहीं था । 3. निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामाग्री अपंजीकृत सप्लायर से खरीदी गई थी एवं रायल्टी नहीं काटी गई थी । 4. विधायक निधि के अंतर्गत लगभग समान धनराशि के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की समयावधि भिन्न भिन्न थी इसका निर्धारण किस प्रकार किया गया यह स्पष्ट नहीं था । 5. अधिप्राप्ति नियमावली का पालन नहीं किया गया था अर्थात क्रय समित का गठन एवं उसके द्वारा दिये जाने वाला सामाग्री की गुणवत्ता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था । 6. निर्माण कार्य के सापेक्ष MB रुपये 279993.76 की, की गई थी। जबकि कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में एमबी की

		धनराशि 279995/- दर्शाई गई थी एवं प्रमाणपत्र 279965/- का दिया गया था । अंतर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया था ।
4 2015-16	ग्रा . पं .ऋषिकेश के सोमेश्वर मंदिर में टिन शेड का निर्माण कार्य (लागत 2.50 लाख)	1. Muster Roll पर उपस्थिती लेने वाले के हस्ताक्षर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या, ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर मौजूद नहीं था । 2. निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामाग्री अपंजीकृत सप्लायर से खरीदी गई थी एवं रायल्टी नहीं काटी गई थी । 3. प्रथम किस्त कब दी गई थी दिनांक दर्ज नहीं थी । 4. निर्माण कार्य 5 माह विलंब से पूर्ण किया गया था । 5. MB 250128.41 की की गई थी। जबकि भुगतान 250000/- के सापेक्ष किया गया था धनराशि किस मद मे कम की गई थी स्पष्ट नहीं था । गुणवत्ता प्रमाणपत्र मे कुल धनराशि 250021/- दर्शायी गई थी ।
5 2015-16	ग्रा . पं .ऋषिकेश के IDPL में जे एस गुरुग के घर से सहीराम धीमान के घर तक सी सी मार्ग का निर्माण कार्य (लागत 3.00 लाख)	1. Muster Roll पर उपस्थिती लेने वाले के हस्ताक्षर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या, ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर मौजूद नहीं था । 2. अधिप्राप्ति नियमावली का पालन नहीं किया गया था अर्थात क्रय समित का गठन एवं उसके द्वारा दिये जाने वाला सामाग्री की गुणवत्ता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था । 3. निर्माण कार्य हेतु क्रय की गई सामाग्री अपंजीकृत सप्लायर से खरीदी गई थी एवं रायल्टी नहीं काटी गई थी । 4. MB रुपये 299969/- की कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र 300153/- एवं भुगतान 299500/- किया गया था । धनराशि किस मद में कम की गई थी यह स्पष्ट नहीं था।
6 2015-16	ग्रा . पं .ऋषिकेश के आवास विकास कालोनी में ब्लॉक नं 4 मे गेट का निर्माण व ब्लॉक नं ए2 मे 667 नं घर के पास गेट का निर्माण कार्य (लागत 2.20 लाख)	1. निर्माण कार्य पूर्व फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने के बाद के फोटोग्राफ मे स्थल का अंतर प्रतीत हो रहा था। 2. कार्य मे चार गेट लगाने के सापेक्ष मात्र एक गेट का कार्य पूर्ण होने के बाद का फोटोग्राफ लगाया गया था । 3. मास्टर रोल में राज मिस्त्री व वैल्डर आदि का चार्ज नहीं किया गया था, जिससे स्पष्ट नहीं था कि तकनीकी कार्य किससे कराये गए हैं । केवल 12 मजदूरों के 20 दिन के कार्य का दावा किया गया था । 4. वाउचर से स्पष्ट नहीं था कि कितने गेट खरीदे गए थे , आगणन मे दशाये गए सभी चार गेटों का वजन 1472.79 के जी के सापेक्ष 1477.77 के जी स्टील खरीदा गया था लेकिन गेट निर्माण किसके द्वारा कराया गया स्पष्ट नहीं था क्योंकि केवल मस्टर रोल मे मजदूरी चार्ज की गई थी ।

		5. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र के अनुसार दावा रुपए 223280/- का किया गया था , किस मद मैं भुगतान कम किया गया था स्पष्ट नहीं था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि उक्त कमियों का आगामी वर्षों में परिपालन किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पत्रवालियों में उक्त अनियमितताएँ विभागीय शिथिलता को दर्शाती है। अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 4 (ब) - दो</u>

प्रस्तर 9 :- भवन एवं अन्य सन्नर्माण कर्मकार नियमावली के तहत उपकर की धनराशि निर्माण कार्यों से कटौती न करके कल्याण बाड़ निधि में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र सख्यां /740-VII/14-680(श्रम 2002/(टी.सी-.II दिनांक 2013-08-13द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिको के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम - भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार)नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन(अधिनियम 1996एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998के अन्तर्गत अधिनियमित किये गये है जिसमें निर्माण श्रमिको के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विभिन्न हितकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये है।

उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिको के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानो द्वारा अपने निर्माण कार्यो की लागत का एक प्रतिशत पकर के रुप में कल्याण बाड़ की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था। इसके अन्तर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये है जिनमे दस या दस से अधिक निर्माम श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी मिदिन नियोजित रहे है। उत्तराखण्ड़ शासन ने ग्राम विकास विभाग के समस्त खंड विकास अधिकारियों को उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्रणाधीन कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यो या जहां निर्माण कार्यों हेतु प्राधिकारी अनुमोदन आवश्यक है को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया था।

कार्यालय खंड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत डोईवाला, जिला देहरादून में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा न तो भुगतानो के बिलों से उपकर की कटौती की गयी है और न ही निर्माण कार्यों का आगणन में *एक प्रतिशत* उपकर का प्रावधान किया गया है जिसे कल्याण बाड़ की निधि में जमा किया जाना था। इकाई की अनुदान पंजिका एवं अन्य बजट अभिलेखों की जांच में पाया गया की इकाई द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत निर्माण कार्यों में 2015-16 में निम्नांकित धनराशि व्यय की गयी थी- :

क्रम सं	**मद**	**उपलब्ध धनराशि (पूर्व अवशेष + वर्ष में आवंटित धनराशि)**	**वर्ष में व्यय धनराशि**
1	राज्य वित्त आयोग	**12198873**	**10296885**
2	मनरेगा	**20765075**	**20762891**
3	विधायक विकास निधि -I	**28072153**	**25743141**
4	सांसद विकास निधि	**9388168**	**8563168**
5	13वां केन्द्रीय वित्त आयोग	**6204936**	**5155700**

6	क्षेत्र पंचायत निधि	**2369726**	**1034654**
7	विधायक विकास निधि -II	**6072296**	**6053881**
8	राजीव गांधी रिसोर्स सेंटर	**500000**	**200000**
कुल व्यय धनराशि			**77810320**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उचित दिशा निर्देशों के अभाव में बिलों से उपकर की कटौती नहीं की गयी थी और न ही निर्माण कार्यों के आगणन में *एक प्रतिशत* उपकर का प्रावधान किया गया था। भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त शासनादेश 2013-14 में निर्गत किया गया था एवं इसमे सभी खंड विकास अधिकारियों को आदेशित किया गया था। अतः ` **77810320/-** के निर्माण कार्यों पर व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष 1% उपकर की कटौती के न किए जाने का प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब) - दो

प्रस्तर 10:- रुपये 30 लाख की लागत से बन रहे राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय रिसोर्स सेंटर का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिनांक 26-3-2015 को जिला पंचायतराज अधिकारी देहरादून द्वारा विकास खंड स्तरीय रिसोर्स सेंटर का निर्माण कार्य करने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में खंड विकास अधिकारी, डोईवाला को चुना गया था। यह कार्य 30.00 लाख रुपये की लागत से कराया जाना था जिसमे से 10.00 लाख की धनराशि जिला पंचायती राज अधिकारी के द्वारा तथा 20.00 लाख की धनराशि म न रे गा से वहन की जानी थी। इस संसाधन केंद में दो कक्ष का निर्माण , एक कार्यालय कक्ष का निर्माण चार शौचालय एवं एक बरामदे तथा पोर्च का निर्माण तथा दो अन्य कक्षों का निर्माण किया जाना था, जिनके माप प्रथक-प्रथक थे । कार्यदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन जिला पंचायतराज अधिकारी देहरादून द्वारा दिया गया था ।

1. पंचायत भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टिओं के अनुसार ही किया जाएगा ।
2. रिसोर्स सेंटर के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोग किए जाने के उपरांत ही अवर अभियंता की मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चयात ही अगली किस्त अवमुक्त की जाएगी।
3. रिसोर्स सेंटर का निर्माण अनिवार्य रूप से 6 माह के अंदर पूर्ण करना होगा।
4. समयांतर्गत पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व आपका (BDO) का होगा ।
5. रिसोर्स सेंटर के निर्माण का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर आख्या इस स्तर (डीपीआरओ) को उपलब्ध कराई जाएगी ।
6. रिसोर्स सेंटर का निर्माण निर्धारित समयावधि के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने पर संबन्धित आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

इस निर्माण कार्य को पूर्ण कारने हेतु पंचायतीराज विभाग से 10.00 लाख तथा म न रे गा से 20.00 लाख स्वीकृत किया गया था, पंचायती राज विभाग से 5 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी तथा म न रे गा से 12,50,074/- की धनराशि व्यय की जा चुकी थी। निर्माण कार्य जो कि 6 माह में पूर्ण किया जाना था 20 माह बाद भी (लेखापरीक्षा तिथि नवम्बर 2016 तक)अपूर्ण था। कार्य समय से पूर्ण न होने पर time overrun /cost overrun होने पर योजना की सकल लागत बढ़ जाएगी और इस भवन का लाभ समय पर नहीं मिल पाएगा।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कर बताया गया कि धनराशि विलंब से प्राप्त होने के कारण कार्य विलंब से प्रारंभ हुआ, स्वीकृत धनराशि से कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था 6 माह के स्थान पर 20 माह बाद भी कार्य अपूर्ण था ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-4, अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति खण्ड़ विकास अधिकारी **द्वाराहाट**, **जिला- अल्मोडा,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0